



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email - mocf.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

फाईल सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/25/2015/एफ0सी0/ 1970

दिनांक: 23/11/2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1395 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-138/X-4-15/1(46)/2015 दिनांक-31.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित आनू लाईन आई0डी0 संख्या FP/UK/ROAD/7842/2014 प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रों द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसकी अनुपालना प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22.07.2015 को हुई बैठक में चर्चा की गई। REC की संस्तुति तथा इस संस्तुति के साथ वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24.08.2015 द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त इस संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद-पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1395 है0 वन भूमि के ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.2790 है0 ग्राम उखेडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। 12.2790 है0 क्षेत्रफल पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विस्तृत वृक्षारोपण योजना की एक प्रति भी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करनी होगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.2790 है० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 268 से अधिक न हो। हालांकि प्रारम्भ में मात्र 210 वृक्षों के पातन की ही स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं यदि आवश्यकता हो तो 210 वृक्षों के पातन के अतिरिक्त वृक्षों पातन की स्वीकृति असाधारण परिस्थितियों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है परन्तु यह स्वीकृति किसी भी परिस्थिति में 268 वृक्षों के पातन से अधिक नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम०एस० नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम०एस० नेगी)
वन संरक्षक